

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या:603/नौ-4-17-72ईओ/17
लखनऊ दिनांक: 25 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में कालम-2 में उल्लिखित अधिशासी अधिकारी को कालम-3 में उल्लिखित नगर निकाय के रिक्त अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र	अधिशासी अधिकारी का नाम	निकाय का नाम जिसका प्रभार दिया जाता है।
1	2	3
1	श्री दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर	नगर पंचायत, कादीपुर (सुल्तानपुर)


2. उक्त निकाय में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती हो जाने पर उक्त अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-603/ (1)/नौ-4-17-72ईओ/17तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर
3. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।